न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 794 / 2023

अनवान : –

1. रामदत पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्र पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. राजबाला पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 19/12/2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 54 / 59 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि स्थितएवं रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 627 / 615 की कुल 11.3180 हैक्ट भूमि में से 1132 / 5659 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 215 / 217 की कुल 28.92920 हैक्ट भूमि मं से 3503 / 28922 हैक्ट भूमि का देवीलाल उर्फ देवेन्द्र सिंह खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में देवीलाल पुत्र किशनाराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है देवीलाल पुत्र किशनाराम का देहान्त हो चुका है देवीलाल पुत्र किशनाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 है जो देवीलाल पुत्र किशनाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 2 व 4 जो की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाकर वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दिया जावे किन्तु प्रतिवादीगण आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:20:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2072–75 रोही मौजा मन्दरपुरा खाता संख्या 627, 215 प्रदर्श–1 व 2, जमाबंदी सम्वत 2076–2079 रोही मौजा ललानिया खाता संख्या 54/49 प्रदर्श–3, मृत्यु प्रमाण पत्र देवीलाल प्रदर्श–4, सरपंच ग्राम ललानिया द्वारा तस्दी सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–6, शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श–7, सरपंच ग्राम पंचायत ललानिया द्वारा नाम के संबंध में तस्दीक प्रदर्श–8, प्रार्थना पत्र मय पटवारी रिपोर्ट प्रदर्श–8 आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता देवीलाल पुत्र किशनाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 54/59 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि स्थित एवं रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 627/615 की कुल 3180 हैक्ट भूमि में से 1132/5659 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 215/217 की कुल 28.92920 हैक्ट भूमि मं से 3503/28922 हैक्ट भूमि का देवीलाल उर्फ देवेन्द्र सिंह खातेदार काश्तकार है, वादी का कथन है कि वादी के पिता रामस्वरूप पुत्र तारूराम का देहान्त हो चुका

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:20:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा देवीलाल उर्फ देवेन्द्र सिंह के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी द्वारा मृतक देवीलाल उर्फ देवेन्द्र सिंह के नाम के संबंध में सरपंच द्वारा तस्दीक प्रमाण पत्र एवं पटवारी रिपोर्ट पेश की गई। मुताबिक रिपोर्ट देवीलाल एवं देवेन्द्र सिह एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 54/59 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि स्थितएवं रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 627/615 की कुल 11.3180 हैक्ट भूमि में से 1132/5659 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 215/217 की कुल 28.92920 हैक्ट भूमि मं से 3503/28922 हैक्ट भूमि का देवीलाल उर्फ देवेन्द्र सिंह खातेदार काश्तकार है में देवीलाल उर्फ देवेन्द्र सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:20:09 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 794/2023

अनवान : –

1. रामदत पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महेन्द्र पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. राजबाला पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 794 सन 2023 निर्णय दिनांक 19.12.23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता संख्या 54/59 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 627/615 की कुल 11.3180 हैक्ट भूमि में से 1132/5659 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 215/217 की कुल 28.92920 हैक्ट भूमि में से 3503/289220 हैक्ट भूमि का देवीलाल उर्फ देवेन्द्र सिंह खातेदार काश्तकार है में मृतक देवीलाल उर्फ देवेन्द्र सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.12.23..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:20:09 IST
Reason: SelfAttested